


**फटे अहकाम**

(नियम 26)

न अदालत ..... 345973A (कार) ..... सिकराय ..... (दोहा) .....  
 सस्का ~~बनाम~~ ..... गिरिधर वर्गारह ..... बनाम ..... मंगली वर्गारह .....  
 सन मुकदमा ..... 251 (रु) RTA ..... मु० नं० ..... 38/2019 .....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/20	<p>पतावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी व पणहो की उपस्थिति में मौजूद देखा गया। तदुसील कार्यलय द्वारा दि. 5.2.20 को भेजी रिपोर्ट पर उक्त पक्ष की वकालत के तथ्यों पर गौर किया गया। अधीनकार द्वारा परिभाषा में दाहे गये रास्ते में ख.नं. 308 में पुरवा निर्माता है। अधीनकार तदुसील कार्यलय द्वारा दि. 5.2.20 को भेजी रिपोर्ट अनुसार निशुल्क रास्ता देने की सहमत है तथा उक्त द्वारा मौजूद पर पैसाइश कर सीमा सिव्हा कायम करने की परिभाषा की गयी है। अतः तदुसील रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 302 में रु. 01 है, 303 में रु. 02 है व 306 में रु. 02 है। रास्ता निशुल्क स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जाता है। यह स्वीकृत बुदा मार्ग अधीनकार की खातेदारी भूखे का भाग रहेगा, जे किन किस्म गैंगुं रास्ता दर्ज होगी। तदुसीलवार निर्णय की पालना के साथ ही पश्नगत भूखे की पैसाइश कर पुरवा सीमा सिव्हा कायम करे। तदुसील कार्यलय की रिपोर्ट के साथ संबंधन नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय आज दि. 16.10.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
 अखण्ड अधिकारी  
 सिकराय जिला-दोहा

